| CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

न्याय के लिए बलत्कृत महिला का समर्थन करें

एफ. आई. आर. दर्ज करें

- बलात्कार की घटना की जानकारी जल्द से जल्द पुलिस को दें। पुलिस को तुरन्त एफ. आई. आर. दर्ज करना होगा और उसकी मुफ्त कॉपी आपको देनी होगी।
- पुलिसकर्मी (यथासंभव महिला पुलिसकर्मी) को बलत्कृत महिला के बयान उसके घर या उसकी मर्जी की जगह पर, उसके परिवार या किसी दोस्त की उपस्थिति में लेने होंगे।

सबूत

- बलात्कार के प्रमाण जैसे - वीर्य, खून व चोटों के निशान बलत्कृत महिला के शरीर या कपड़ों पर पाये जा सकते हैं।
- बलत्कृत महिला के कपड़े महत्वपूर्ण सबूत हैं और इन्हें पुलिस को जरूर दें।
- आरोपी की डाक्टरी जाँच से डी. एन. ए. का नमूना व चोटों के निशान इत्यादि सबूत के रूप में मिल सकते हैं।

डाक्टरी जाँच

- पुलिस को जल्द से जल्द बलत्कृत महिला की डाक्टरी जाँच करवानी चाहिए। जाँच के लिए महिला की सहमति जरूरी है। जहां तक संभव हो जाँच पंजीकृत महिला सरकारी डाक्टर के द्वारा ही होनी चाहिए।
- डाक्टरी जाँच महिला के स्नान करने से पहले हो जाए तो बलात्कार के सबूत मिल जाते हैं।
- डाक्टरी रिपोर्ट में बलत्कृत महिला के शरीर पर लगी सभी चोटों व मानसिक स्थिति का विवरण होना चाहिए।
- डाक्टरी रिपोर्ट पुलिस को दी जायेगी।

आरोपी पहचान परेड

- यदि आरोपी अनजान है तो उसकी पहचान करने के लिए कतार में पुरूषों को खड़ा किया जाएगा। इसे पहचान परेड कहते हैं।
- बलत्कृत महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पुरूषों की कतार से आरोपी को पहचानना होगा।

बंद कमरे में मुकदमे की सुनवाई

- आरोपी पर मुकदमा चलाना सरकार की जिम्मेदारी हैं।
- बलत्कृत महिला का मुकदमा सरकारी वकील लड़ेगा। यदि वह चाहे तो निजी वकील भी कर सकती है।
- जहां तक संभव हो मुकदमा महिला जज के सामने चलेगा।
- बलत्कृत महिला के बयान अदालत के बंद कमरे में लिए जाऐंगे और वहाँ आम लोग व मीडिया दोनों मौजूद नहीं होंगे।
- मीडिया को बलत्कृत महिला का नाम व पहचान गुप्त रखना होगा।
- बलात्कार का मुकदमा गवाहों के परीक्षण शुरू होने के दो महीने के अंदर पूरा किया जाएगा।

United Nations Development Fund for Women
UNIFEM
UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN

MARG
MULTIPLE ACTION RESEARCH GROUP